राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या— 1 / 2024
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2024 / 1
3. दायर दिनांक— 2.1.2024
4. निर्णय दिनांक— 14.6.2024

उनवानी

1. मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र कल्याण
2. घीसी देवी पुत्री कल्याण
3. मोगा पुत्री कल्याण
4. होशियार देवी पुत्री कल्याण
5. भंवरी पत्नि अमरा
6. सुखराम पुत्र अमरा
7. प्रियंका पुत्री अमरा
8. हरकू उर्फ लक्ष्मी पुत्री अमरा
9. नाबा0 पूजा पुत्री अमरा संरक्षक सरपरस्त माता भंवरी
   सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम त्योद तहसील रूपनगढ़

.....अपीलार्थी

बनाम

1. अमराव पुत्र सुगना
2. गौरा पुत्री कल्याण
3. जमना पुत्री सुगना
4. नोरती पुत्री कल्याण
5. मुकेश पुत्र सुगना
6. मन्जू पुत्री सुगना
7. रामवल्लभ पुत्र कल्याण
8. श्योचन्द पुत्र कल्याण
9. समोदरा पुत्री सुगना
10. सायरी पुत्री कल्याण
11. हरि पुत्र सुगना
12. हाबूड़ी पत्नि सुगना
    सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम त्योद तहसील रूपनगढ़
13. ग्राम पंचायत त्योद जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत त्योद प.स. किशनगढ़ जिला अजमेर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

.....रेस्पोण्डेंट्स

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अपील अन्तर्गत धारा–75 राज0भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 अपीलार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज कल्याण पुत्र बालू के नाम ग्राम त्योद पटवार हल्का त्योद भू0अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में उनके स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के ख0न0 708 रकबा 4.8620 है0 स्थित थी तथा अपीलार्थीगण के पूर्वज कल्याण पूत्र बालू की मृत्यु पश्चात उनके हिस्से आराजी उनके वारिसान रूकमा पत्नि कल्याण, अमरा पुत्र कल्याण, मांगु पुत्र कल्याण, के नाम विरासत नामांतरकरण से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जो कि अपीलार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में पिता की विरासत से प्राप्त हिस्सा 1/9 दर्ज है तथा अपीलार्थी संख्या 5 से 9 के पूर्वज अमरा पुत्र कल्याण के फोत होने पर उनके हिस्से की आराजी विरासत से अपीलार्थी संख्या 5 से 9 प्रत्येक के नाम हिस्सा 1/45 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अपीलार्थीगण की माता, सास, दादी रूकमा पत्नि कल्याण की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थीगण उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिए। परन्तु रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 के पूर्वज का नाम भी रूकमा पत्नि कल्याण की खातदेारी कृषि भूमि ग्राम त्योद में स्थित खाता संख्या 35 के ख0न0 1304/166 क्षेत्रफल 4.3605 है0 एवं खाता संख्या 262 के ख0न0 165 क्षेत्रफल 0.0728 है0 होने से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 ने उनके पूर्वज रूकमा पत्नि कल्याण की विरासत का नामंतरकरण खुलवाने के लिए तहसीलदार रूपनगढ़ व पटवारी हल्का त्योद को अपने पहचान के दस्तावेज एवं मृतका रूकमा पत्नि कल्याण का मृत्यु प्रमाण पत्र व मृतका के वारिसान का सजरा आदि दस्तावेज पेश किये गये थे तत्पश्चात पटवार हल्का पटवारी त्योद के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 के नाम विरासत का नामान्तरकरण प्रविष्टि कम संख्या 2633 दिनांक 21.6.2022 ऑन लाईन भरकर विरासत नामांतरकरण की जांच भू0अ0नि0 क्षेत्र भदूण के गिरदावर से करवा कर ग्राम पंचायत त्योद के सरपंच रेस्पोडेंट संख्या 13 के द्वारा यहां की बैठक में प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 21.6.2022 में स्वीकृत किया गया तत्पश्चात उक्त नामांतरकरण को रेस्पोडेंट संख्या 14 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिसका स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2633 दिनांक 21.6.2022 विरासत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। रेस्पोडेंटस संख्या 13 द्वारा विरासत नामांतरकरण संख्या 2633 में प्रस्ताव संख्या 16 के द्वारा स्वीकृत आदेश दिनांक 21.06.2022 का न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी की ओर से निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत त्योद द्वारा विरासत का नामांतरकरण संख्या 2633 स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 16 आदेश दिनांक 21.6.2022 को अपास्त/निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 14 को निर्देशित किया जावे कि वह उक्त विरासत नामांतरकरण को राजस्व रिकार्ड में निरस्ती का इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स की तलबी जरिये नोटिस की गयी। रेस्पोडेंट्स के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेंट संख्या 13 ने उपस्थित होकर प्रकरण में जाहिर किया कि प्रकरण स्वीकार किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 14 तहसीलदार रूपनगढ़ ने जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम त्योद के नामांतरकरण संख्या 2633 स्वीकृत दिनांक 21.6.2022 में खाता संख्या 35 व 262 में नामांतरकरण की कार्यवाही सही होने से इन्द्राज यथावत रखा जाना अपेक्षित है एवं खाता संख्या 713 के ख0न0 708 के इन्द्राज को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अपास्त/निरस्त फरमाते हुए ख0न0 708 में नामांतरकरण से पूर्व इन्द्राज को यथावत रखा जाना उचित है। प्रकरण मे वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट ने अपने अपील के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया उक्त अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत त्योद द्वारा विरासत का नामांतरकरण संख्या 2633 जो खाता संख्या 35 व 262 में नामांतरकरण की कार्यवाही सही होने से इन्द्राज यथावत रखा जाना अपेक्षित है एवं खाता संख्या 713 के ख0न0 708 के गलत इन्द्राज होने से अपास्त/निरस्त किसे जाने के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील अपीलांट्स एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। तदनुसार प्रकरण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम त्योद के नामांतरकरण संख्या 2633 स्वीकृत दिनांक 21.6.2022 में खाता संख्या 35 व 262 में नामांतरकरण की कार्यवाही सही होने से इन्द्राज यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है एवं खाता संख्या 713 के ख0न0 708 के गलत इन्द्राज होने से उक्त नामान्तरकरण अपास्त/निरस्त कर तहसीलदार रूपनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या 713 के ख0न0 708 के संबंध में पुनः जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)